(b) Mildly and moderately hearing impaired.

(c) Partially sighted children.

(d) Mentally handicapped educable group IQ 50-70.

(e) Children with multiple handicaps (Blind and Orthopaedic, hearing impaired and orthopaedic, educable mentally retarded and orthopaedic visual impairment and mild hearing handicap.)

(f) Children with learning disability.

मंडल आयोग के संबंध में विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत का परिणाम

1141. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच हुई बातचीत का परिणाम क्या निकला है; और

(ख) सरकार आयोग की सिफारिशों को कब से और किस रूप में लागू करना चाहती है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) केन्द्र में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हुए परामर्श के अनुसार, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करने संबंधी 13.8.90 के कार्यालय ज्ञापन को निम्नलिखित व्यवस्था करने हेतु 25 सितम्बर, 1991 को संशोधित किया गया :

(1) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिक गरीब समुदाय के प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसे प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो जो रिक्तियां भरी नहीं गई हैं उन्हें सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के प्रत्याशियों से भरा जाएगा।

(2) भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 10 रिक्तियां आर्थिक रूप से पिछड़े उन वर्गों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्हें आरक्षण की किसी भी विद्यमान योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(3) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में अधिक निर्धन वर्ग अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लोगों, जो आरक्षणों की किसी विद्यमान योजना में नहीं आते हैं, के लिए निर्धारण संबंधी मानदंड अलग से विनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त आर्थिक मानदण्ड के निर्धारण के बारे में राज्य के मुख्यमंत्रियों से आगे विचार-विमर्श शुरू करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं, क्योंकि सरकार का यह विश्वास है कि सामाजिक न्याय को सामाजिक सद्भावना तथा शांति के वातावरण में ही बढ़ावा देना होगा।

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लोगों के लिए दिनांक 13.8.90 तथा 25.9.91 के कार्यालय ज्ञापन से उत्पन्न आरक्षण संबंधी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है जो 4 दिसम्बर, 1991 को आरम्भ होगी।

उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।